

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर - राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 35/2018

किस्म मुकदमा :

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 24.07.2018

निर्णय दिनांक : 27/7/2018


सरकार जरिये पटवारी हल्का बनाम भागीरथराम, किशनाराम, नोलाराम पि.  
दीपपुरा मुन्नाराम जाति जाट नि. गोपालपुरा

-: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का दीपपुरा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री भागीरथराम, किशनाराम, नोलाराम पि. मुन्नाराम जाति जाट नि. गोपालपुरा ने ग्राम गोपालपुरा के खसरा नम्बर 10 कुल रकबा 1.3800 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.0356 हैक्टेयर भूमि पर सम्वत 2075 में बाड लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया। नोटीस की प्रति घीसाराम ने प्राप्त की।

अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना - पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम गोपालपुरा के आराजी राज खसरा नम्बर 10 कुल रकबा 1.3800 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.0356 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 1.00 रु का पच्चास गुणा से राशि रु0 50 /- अक्षरे पचास रुपये जुर्माना आरोपित किया जाता है।

  
तहसीलदार  
तहसील कुचामन सिटी (नागौर)

(1)

पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक २७/०९/१८ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर शर्मा)  
तहसीलदार सिटी  
तहसील कायमी (सिटी जमिंदार)